6-7-22

पत्रावली पेश हुई। मूल दावे में राजीनामा पेश होने पर राजीनामा अनुसार दावे का निस्तारण किया गया। दावे के निर्णित होने पर प्र.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से प्र.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। प्र.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज होकर, नम्बर से कम होकर, मूल दावे में सलग दाखिल दफ्तर की जावे।

उप जिला कलक्टर
नदबाई

ईश्वरलाल
भगवान सहाय
किशन

रामेश्वर नैरवा
वाद मित्र व अधिवक्ता
T.D. by

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2023.07.21 16:54:52 IST
Reason: SelfAttested